

प्रेषक,

ऋषिकेश दूबे,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा,
उ०प्र०, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ, दिनांक: 13 फरवरी, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक बजट में अनुदान संख्या-75 हेतु स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष समग्र शिक्षा के टीचर एजूकेशन घटक के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश का संगत राज्यांश रू० 409.52 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-राशै०/ए-1/टीई/45661-62/2022-23 दिनांक 18-01-2023, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक बजट में अनुदान संख्या-75 हेतु स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष समग्र शिक्षा के टीचर एजूकेशन घटक के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश का संगत राज्यांश रू० 409.52 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक बजट में अनुदान संख्या-75 के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका में लेखा शीर्षवार/मदवार अंकित योजनाओं हेतु राज्यांश की धनराशि रू० 409.52 लाख (रूपये-चार करोड़ नौ लाख बावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति पर श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं-

अनुदान संख्या-75 (केन्द्रांश हेतु)

(रू० लाख में)

अनुदान संख्या	योजना का नाम	योजना का लेखाशीर्षक	मानक मद	अनुपूरक बजट प्रावधान	वित्तीय स्वीकृति	अवशेष प्रावधान
(75)	05-जनपदों में नवीन जिला शिक्षा एवं	4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय 01 -सामान्य शिक्षा	24-वृहत निर्माण	229.17	229.17	00.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना। (राज्यांश)	201 -प्रारम्भिक शिक्षा 8904 -नवीन जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना				
			योग	229.17	229.17	00.00
(75)	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढीकरण (46-जनपद)	4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय 01 -सामान्य शिक्षा 201 -प्रारम्भिक शिक्षा 8901-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण	25-लघु निर्माण	180.35	180.35	00.00
			योग-	180.35	180.35	00.00
			महायोग-	409.52	409.52	00.00

1. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 एवं योजना से सम्बन्धित अन्य सुसंगत शासनादेश/दिशा-निर्देश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का प्रतिबद्धता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. योजना हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार ही प्रस्तावित धनराशि का व्यय आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
3. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा निर्गत समस्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके निमित्त धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा।
5. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा ई-टेंडरिंग/ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42 आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाक घर में नहीं रखी जाएगी।
7. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 3- उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून 2022 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आहरित कर उक्त कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 4- उक्त स्वीकृत धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-75 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तर-2 में अंकित तालिका में लेखा शीर्षवार/मदवार अंकित योजनाओं हेतु संगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-11-196-x-2022-23 दिनांक 03-02-2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
ऋषिकेश दूबे
विशेष सचिव ।

संख्या व दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/लेखापरीक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निदेशक, टीचर्स एजुकेशन, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/2 ।
5. संयुक्त निदेशक, अनुश्रवण प्रकोष्ठ (बेसिक शिक्षा) उ0प्र0 शासन।
6. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता)/नियोजन अनुभाग-4
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ऋषिकेश दूबे
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।